बिहार स्टेट पावर ट्रॅान्समिशन कम्पनी लि0,

निबंधित कार्यालय, विधुत भवन, बेली रोड, पटना

संकल्प संख्या–T-I/Alleg-56001/2014 107 पटना, दिनांक– 31/01/15

श्री राजेश्वर प्रसाद, विधुत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, मोतिहारी के विरूद्ध कम्पनी के आदेश की अवहेलना, कर्त्तव्यहीनता एवं लापरवाही के प्रथम द्रष्ट्या प्रमाणित आरोप के लिए कम्पनी के संकल्प सं0 656 दिनांक 06–09–14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई जिसमें श्री प्रभात कुमार–II, विधुत अधीक्षण अभियंता, संचरण (ओ0 एण्ड एम0), बिहार स्टेट पावर ट्रॅान्समिशन कम्पनी लि0, पटना को जॉच पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

जॉच पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 16 दिनांक 07–01–15 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसमें उन्होंने आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र में वर्णित सभी आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया।

जॉच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन, आरोपी के लिखित बयान एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की सम्यक समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत श्री राजेश्वर प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में वर्णित आरोपों से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार श्री राजेश्वर प्रसाद, विधुत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, मोतिहारी के विरूद्ध लगाये गये उपरोक्त आरोपों से उन्हें मुक्त किया जाता है।

आदेश:–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की हस्ताक्षरित प्रति श्री राजेश्वर प्रसाद, विधुत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, मोतिहारी को हस्तगत कराई जाए।

आदेश से

ह0/–

(के0 बी0 के0 साहनी)

उपमहाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)